अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

2022/229/225 बजरंग रीयलटर्स V/s ADA

आदेशिका/आदेश दिनांक 23/8/22

2022/229

श्री शिवप्रकाश चौधरी

16.8.22

बजरंग रीयलटर्स प्रा.लि. बनाम अजमेर विकास प्राधिकारण, अजमेर वगैरह (229/2022)

यह अपील श्री शिव प्रकाश एडवोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर(मुख्यालय), अजमेर के आदेश दिनांक 10.08.2022, प्रकरण संख्या 142/2022 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील वाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया। स्थगन प्रार्थना–पत्र की प्रति राजकीय अभिभाषक को दी गई। पत्रावली वास्ते जवाब/सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 23.08.2022 को पेश हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

23.8.2

पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रार्थना–पत्र पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक को प्रार्थना–पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र निवेदन किया कि राजस्व एजेन्सी मौके पर नाप–चौक करने पर सख्त आमादा है होने के कारण एवं अति आवश्यक प्रकृति के कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था एवं साथ ही धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सिर्फ 02 खसरा नम्बरान क्रमशः 876 एवं 883/1868 के बाबत् मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति के बात् निवेदन किया गया था इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण बहस सुनने के उपरान्त अपीलांट के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी करने का गैर–कानूनी आदेश पारित कर दिया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत् यह प्रावधान दिये गये है कि जहॉ विवादित आराजीयात के संदर्भ में कोई वाद विचाराधीन है तो वाद को दर्ज करने का आदेश न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है तो उपरोक्त प्रार्थना–पत्र के अन्तर्गत मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति रखने का आदेश पारित करना न्यायालय का कतव्य है जिससे बेवजह अन्य कार्यवाहीयॉ ना बढ़े। उपरोक्त आराजीयात पूर्व नक्शे के अनुसार गैर–मुमकिन नाले के लगवा है एवं वर्तमान नक्शा ट्रेश जमाबंदी में गलत इन्द्राजात कर दिये है। गलत इन्द्राजात के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात किसी अन्य को आवंटन–नियमन की जाती है तो बेवजह विवाद बढ़ने की संभावना है। धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का मुख्य ध्येय है कि वादग्रस्त आराजीयात को वाद के विचाराधीन रहते प्रोटेक्ट किया जाना अनिवार्य है।अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर ने अपने आदेश में मात्र नोटिस जारी करने का कथन अंकित कर दिया जबकि प्रार्थी द्वारा पूर्ण बहस भी की गयी थी तथा भूमि जो कि प्रार्थी की जरखरीद कब्जे की भूमि है जिससे अप्रार्थीगण प्रार्थी को बेदखल कर अन्यत्र आवंटन/नियमन करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में यदि मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति नहीं रखी गयी तो वाद प्रस्तुत करने का सार ही समाप्त हो जायेगा एवं प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष

में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील अप्रार्थीगण व उनके अधीनस्थ न्यायालय अधिकारी व कर्मचारीगण को पावंद किया जावे कि वे आराजी खसरा नम्बर 876 व 883/1868 में प्रार्थी के विधिक अधिकारो में, उपयोग तथा उपभोग में किसी प्रकार से दखल एवं व्यवधान नहीं किया जावें तथा किसी भी अन्य के पक्ष में नियमन/आवंटन नहीं की जावें तथा मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश प्रदान करावें।

राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 876 व 883/1868 वर्तमान में अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी/अपीलांट विवादित आराजी को गलत रूप से अपने नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित करवाना चाहते है जो वाद में बाद साक्ष्य व सबूत के निर्धारित होगा। प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में नहीं बनना पाया जाता है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना–पत्र स्थगन खारिज फरमाया जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं अपील मीमो का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मुख्यालय), अजमेर द्वारा दिनांक 10.08.2022 को अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये के आदेश विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राथमिक स्तर पर विचाराधीन है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में केवल मात्र अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये है। मान्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की फुल बैंच द्वारा दिनांक 12.04.2014 को जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम वगैरह पेज संख्या 37 में अन्तरिम आदेश पारित करने हेतु दिशा निर्देश हेतु प्रतिपादित किये है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद साक्ष्य व सुनवाई के द्वारा किया जाना है। न्यायहित में व पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए अपील को आंशिक स्वीकार कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में अपीलांट एवं उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 30 दिवस में आवश्यक रूप से निर्णित करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर